# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 97/2006</u>

श्री विपिन पंजाबी, .......... आवेदक
आत्मज श्री जी.डी.पंजाबी,
एडव्होकेट, हाईकोर्ट,
बेलादुला, सिंधी कालोनी,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, .......... अनावेदक
प्राचार्य,
जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय,
सक्ती, जिला–जांजगीर (छत्तीसगढ़)

## :: आदेश ::
( 26 जुलाई 2006 )

आवेदक श्री विपिन पंजाबी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–18 के अंतर्गत शिकायत की है कि आवेदक ने दिनांक 17–01–2006 को जन सूचना अधिकारी, प्राचार्य जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय सक्ती, जिला–जांजगीर को दो आवेदन पत्र देकर कुछ जानकारी चाही थी। उक्त जानकारी का आवेदन शुल्क भी आवेदक के द्वारा कार्यालय में जमा करने के लिए अनुरोध किया गया। किन्तु आवेदन शुल्क नहीं लिया गया, परंतु आवेदक के द्वारा बैंक में चालान से आवेदन शुल्क जमा किया गया। आवेदक का यह भी आवेदन है कि उसे निर्धारित अवधि के अंदर जानकारी नहीं दी गई। अतः यह शिकायत प्रस्तुत की गई।

आयोग के द्वारा अनावेदक को नोटिस जारी किया गया। अनावेदक की ओर से समिति के सचिव श्री रोहित दिनांक 28–04–2006 को उपस्थित हुए। उन्होंने परीक्षा के कारण जानकारी नहीं दिया जाना बताया। आयोग के द्वारा इसे संतोषजनक कारण नहीं माना गया एवं अनावेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 के अंतर्गत 25,000/– रूपए (पच्चीस हजार रूपए मात्र) का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे, इसका नोटिस जारी किया गया। दिनांक 15–06–2006 को प्राचार्य अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित हुए तथा दिनांक 28–06–2006 को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई साथ ही आदेश दिये गये कि अब जानकारी 15 दिन के अंदर निःशुल्क प्रदान की जावे। दिनांक 11–07–2006 को पक्षकार उपस्थित रहे। आवेदक ने पत्र लिखकर अनावेदक के द्वारा दिये गये जवाब का उत्तर प्रस्तुत किया गया।

अनावेदक का मुख्य तर्क यह है कि आवेदक ने 10/– रूपए का चालान जमा नहीं किया था तथा कार्यालय में ही 10/– रूपए की रसीद कटवाना चाह रहा था। जिस कारण आवेदक को जानकारी नहीं दी गई। अनावेदक का यह तर्क था कि रसीद काटकर दिये जाने पर उसे चालान से रूपए जमा करने पड़ते, जिसमें कार्यालय का समय अपव्यय होता। आवेदक ने बतलाया कि उसने चालान से पैसा जमा किया किन्तु उसके बाद भी उसे जानकारी नहीं दी गई। प्रकरण से स्पष्ट होता है कि अनावेदक प्राचार्य ने आयोग को भी लिखित में यह सूचित किया कि परीक्षा कार्य में व्यस्त होने के कारण जानकारी नहीं दे पाया। अनावेदक ने अपने जवाब में यह कहीं उल्लेख नहीं किया है कि उसके द्वारा जानकारी आवेदक को भेजी गई है। आयोग के निर्देश के पश्चात् भी जन सूचना अधिकारी, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, सक्ती के द्वारा आवेदक को जानकारी नहीं दी गई।

अनावेदक का यह कहना कि वह परीक्षा में व्यस्त था इस कारण अधिनियम में निर्धारित अवधि के अंतर्गत जानकारी नहीं दे पाया व परीक्षा की कार्यवाही करना ज्यादा आवश्यक था। अनावेदक का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि परीक्षा के कार्यों में व्यस्त होने से उसने जानकारी नहीं दी। यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक ने आयोग के निर्देश के पश्चात् भी 11–07–2006 तक आवेदक को जानकारी नहीं दी। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक श्री जी. एस. वर्मा, जन सूचना अधिकारी, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय द्वारा जानबूझकर मांगी गई जानकारी न देकर त्रुटि की गई है और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनावेदक दण्डनीय है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 के अंतर्गत अनावेदक के विरूद्ध 10,000/– रूपए (दस हजार रूपए मात्र) का अर्थदण्ड का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदक को अभी तक जानकारी नहीं दी गई है, तो वह 10 दिनों के अंदर निःशुल्क दी जावे। इस आदेश की प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को भी भेजी जावे ताकि यदि अनावेदक के द्वारा अर्थदण्ड की राशि यदि जमा नहीं कराई जाती है तो राज्य शासन जन सूचना अधिकारी के अनुदान में दी गई वेतन की राशि से काटकर जमा कराई जावे।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त